न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/ 2015 नि० - 4096 - II-15

जय राम तनय सुखलाल नापित आयु 37 वर्ष
निवासी शिवपुरी तह. व जिला टीकमगढ म.प्र.
......निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म.प्र. द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़
.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 152 / अ–68 / 2014 – 15 मे पारित आदेश दिनांक 24–07–2015 एवं नकल प्राप्ति दिनांक 09–10–2015 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर निम्न प्रकार है –

(1)– यह कि तहसीलदार टीकमगढ द्वारा ग्राम शिवपुरी के भूमि खसरा नम्बर 151/2 /मिन/2 के अंश भाग 80 x 80 वर्गफीट पर अवैध अतिक्रमण अंतर्गत 248 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अतिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य के 20% के आधार पर दण्ड अधिरोपित करते हुये धारा 248 (1) मे बेदखल करते हुये 2,13,840/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । उक्त अर्थदण्ड बिना कूट परीक्षण, बिना मेटेरियल साक्ष्य लिये , विधि के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुये आदेश पारित किया है और वासिल बाकी नवीस द्वारा अर्थदण्ड पंजी एवं सी–2 मे अर्थदण्ड अंकित करने हेतु आदेश पारित किया है ।

(2)– वास्तिविकता यह है कि हल्का पटवारी शिवपुरी न ही मौके पर गया और न ही मौके का पंचनामा तैयार किया , उक्त अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही घर पर बैठकर , मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध प्रक्रिया अपना कर निगरानी कर्ता को अवैध अतिक्रमणधारी होना बताया । भौतिक रूप से हल्का पटवारी शिवपुरी ने न तो विवादित मकान का नजरी नक्श तैयार किया , और न ही सही रूप से विवादास्पद जमीन का सत्यापन किया उस भूमि का सीमांकन भी नही किया गया कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के बहकावे मे आकर मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता को अतिक्रमणधारी बताया जो विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है ।

(3)– यह कि निगरानीकर्ता के पूर्वज वर्ष 1955 से उक्त भूमि खसरा नम्बर पर निवास करते चले आ रहे है उस समय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता निर्मित नही हुई थी इस कारण भूतलक्षी प्रभाव से आदेश शून्य है एवं धारा 248 (1) के प्रावधान प्रचलन योग्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[illegible] क्रमांक :–निगरानी–4096–दो/2015 जिला–टीकमगढ़

जय राम विरूद्ध शासन म.प्र. द्वार तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 152/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	